



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 1074) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 208, दिनांक 3 सितम्बर 2026— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सामाजिक सुरक्षा निधि नामक एक निधि की स्थापना करते हैं।

(सं० 01/COSS-10-02/2026-214 / श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 209-एस0ओ0 208, दिनांक 3 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2026-215 / श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 3rd September 2026

S.O. 208, dated 3rd September 2026— In exercise of the powers conferred by Section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to set up a fund to be called the Social Security Fund for the purpose of the said code.

(No. 01/COSS-10-02/2026–214/ L.R.)

By the Order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1074-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>